

Order No:-405L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri Rebati Tripura** के द्वारा के०वि०सं कूपन संख्या. **409** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-


S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	SIYARI DEBBARMA	SHASHANKA DEBBARMA, MOB-8974200994	4	AMBASSA TRIPURA
2	ANNESHA DEBBARMA	BIJAYEN DEBBARMA, MOB-9366247424	7	AMBASSA TRIPURA
3	AYUSHRI DEBBARMA	BIJAYEN DEBBARMA, MOB-9366247424	2	AMBASSA TRIPURA
4	BAIGYATI REANG	LT. BIRBASU REANG, MOB-7628013053	9	PANISAGAR
5	KOHINA CHAKMA	RUPAYAN CHAKMA, MOB-9362345828	5	AMBASSA TRIPURA
6	PRIHAM DEBNATH	PRADIP DEBNATH, MOB-7308317810	1	PANISAGAR
7	SONDIP SINHA	GOPESHWAR SINHA, MOB-9366748136	5	KAILASHAHAR
8	DEBANKAN DEB	DEBASHISH DEB, MOB-9436530950	7	KAILASHAHAR
9	PRIYANKO BHATTACHARJEE	PRITISH BHATTCHARJEE, MOB-7628895698	9	PANISAGAR
10	SWARNAJIT PAUL	SATYAJIT PAUL, MOB-7005295462	3	AMBASSA TRIPURA

कृ० पृ० उ०

(Handwritten signature)

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के० वि० सं० की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।


(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Rebatī Tripura माननीय संसद सदस्य को ई० मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **SILCHAR** संभाग को सूचनार्थ। (ई० मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई० मेल)